राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 256 / 2024 दायर तारीख 14 / 08 / 2024

अनवान

01. गोवर्धन पुत्र छीतर जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. प्रकाशी पुत्री शंकर जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. बाली पत्नि स्व0 शंकर जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. सम्पत्ति पुत्री शंकर जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रार्थीगण

बनाम

01. प्यारचन्द पुत्र गोकल जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। **(मृतक) के उतराधिकारी निम्न हैं।**

1/1. सुरेश पुत्र प्यारचन्द जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

1/2. संजू पुत्री प्यारचन्द पत्नि गोपाल जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

1/3. गायत्री पत्नि प्यारचन्द जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

प्यारचन्द पुत्र गोकल जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। **(मृतक) के एक वारिस पुत्र मुकेश पुत्र प्यारचन्द कराड़ का भी देहान्त हो चुका हैं। जिसके उतराधिकारी निम्न हैं।**

1/4. दीपु पुत्र मुकेश जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

1/5. सांवरिया पुत्र मुकेश नाबालिग जरिये संरक्षक माता नन्दू पत्नि मुकेश जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

1/6. विष्णु पुत्र मुकेश नाबालिग जरिये संरक्षक माता नन्दू पत्नि मुकेश जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

1/7. नन्दू पत्नि मुकेश जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – ....अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री सुनिल बाकलीवाल –...............अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 13 / 11 / 2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम उदपुरियां पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा भू.अभि.निरिक्षक उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 116 आराजी नम्बर 99 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता आराजी संख्या 155 गे0मू0 रास्ता से विपक्षीगण की उसी ग्राम की आराजी संख्या 98 रकबा 0.4209 हैक्टेयर के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवेश कर प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश करता हैं। प्रार्थीगण कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात होकर लोहे के फाटक लगी हुई हैं, उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षी आये दिन विवाद करता हैं एवं उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर देता हैं। वर्तमान में भी पत्थर के जोटे रखकर विपक्षी ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण की उक्त आराजियात पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2073–2076 ग्राम उदपुरियां एवं भू–नक्शा उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 14.08.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 की ओर से अधिवक्ता सुनिल बांकलीवाल ने अन्डर टेकिंग ली एवं विपक्षी संख्या 1.4, 1.5, 1.6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/1666 दिनांक 20.08.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1456 दिनांक 09.09. 2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि :– भू0अ0नि0 उमाजी का खेड़ा एवं पटवारी हल्का उमाजी का खेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उदपुरिया के आराजी नं0 99 रकबा 0.1376 है0 भूमि गोवर्धन पुत्र छीतर लाल 25/28 प्रकासी, सम्पति पुत्री शंकर 1/14. बाली पत्नी स्व0 शंकर 1/28 कराड सा0 देह खातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए ग्राम उदपुरिया के आराजी नं0 98 में से 12 फीट चौडा रास्ता चाहा गया गया हैं। ग्राम उदपुरिया के आराजी नं0 98 रकबा 0.4209 है० भूमि प्यारचन्द पुत्र गोकल कराड सा0 उदपुरिया खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्यारचन्द पुत्र गोकल कराड की मृत्यु हो चुकी है। आ0नं0 98 कुल रकबा 0.4209 हैक्टेयर में से रकबा 0.0016 हैक्टेयर भूमि रास्तो हेतु प्रस्तावित हैं। उक्त आ0नं0 98 आबादी से 70 मीटर, एन.एच. से 1.50 कि0मी0 दूरी होकर स्वीकृत खनन क्षेत्र से 240 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज गेमु0 रास्ते से मिला हुआ है। आ0नं0 99 में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आ0नं0 98 की दक्षिणी पूर्वी मेड पर प्रस्तावित है।

लगातार पेज संख्या 04 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

ग्राम उदपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 98 रकबा 0.4209 है0 में से रकबा 0.0016 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 4596500/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 7355/–रूपये का दुगुना से 14710/– रूपये की राशि बनती है। अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय खसरा नक्शा की प्रति सलंग्न की है।

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ खसरा नक्शा, नकल जमाबन्दी पेश किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से **प्राप्त स्थल** निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :-

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम उदपुरियां पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा स्थित खाता संख्या 116 आराजी नम्बर 99 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की ग्राम उदपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 98 रकबा 0.4209 है0 में से रकबा 0.0016 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम उदपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 98 रकबा 0.4209 है0 में से रकबा 0.0016 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 4596500/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 7355/–रूपये का दुगुना से 14710/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13 / 11 /2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां